

विषय :- प्रथम अपील।

अपील विरुध :- राज्य सूचना अधिकारी।

ग्रटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण
गौतमबुद्ध नगर

अपीलकर्ता :- साहिल चौधरी (एडवोकेट)

चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर

गौतमबुद्ध नगर

Mob.9899642426

58735
25-8-22

महोदय,

आवेदक ने दिनांक 18/07/2022 को उपरोक्त जन सूचना अधिकारी से जानकारी मांगी थी जिसका आवेदन संख्या -20803 थी। ग्रटर नोएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण ने मांगी गयी सूचना की कोई जानकारी नहीं दी जिसका समय 30 दिन से अधिक हो गया है। जो की **जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** का उलंघन है। साथ ही साथ एक नागरिक के मौलिक अधिकारों का भी हनन है। श्रीमान जी से निवेदन है की मेरी अपील का निस्तारण करने से पूर्व मुझे सूचित करे।

ऐसी परिस्थिति में आप से अपील है।

1. मांगी गई पूर्ण वह सही सूचना उपलब्ध कराई जाए।
2. जिस सूचना अधिकारी ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई उन पर इस कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाए।

दिनांक : 25/08/2022

आवेदक

साहिल चौधरी (एडवोकेट)

चेंबर.नं0-789, गली नंबर 22

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सूरजपुर

गौतमबुद्ध नगर

Mob.9899642426

संलग्न

(a) आर.टी.आई आवेदन की प्रतिलिपि

(b) आर.टी.आई के लिए जमा किए गए पोस्टल आर्डर का नंबर- 56F

138959 व प्राप्त रशीद की प्रतिलिपि

AA. SDM land
26/8/22

R.T.I-20823 (LAND)
App.No-3576
26-8-22